

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7  
संख्या 1395/xxvii(7)/2009  
देहरादून, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009

G.O 1395/xxvii(7)

2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- उत्तराखण्ड वेतन समिति(2008) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

अधीनस्थों को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को सतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अंतिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा0-4-229/दस-2000-626-2000 दिनांक 10 मार्च, 2000 द्वारा किया गया था। इस संबंध में वेतन समिति(2008) द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्न लिखित स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ-4 में उल्लिखित दर के अनुसार तत्कालिक प्रभाव से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	वाहन नाम	वर्तमान दर (रु0 प्रतिमाह)	पुनरीक्षित दर (रु0 प्रतिमाह)
1.	2	3	4
2.	मोटरकार(जहां औरत स्थानीय यात्रा 400 किमी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	800	1000
3.	मोटर साइकिल / स्कूटर		
4.	मापेड	360	450
5.	साइकिल	150	200
		50	75

- 1- उक्त भत्ते की अनुमन्यता उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 मार्च, 2000 के अनुसार ही रहेंगी और कार्यालय ज्ञाप की दर केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।
- 2- उक्त भत्ते की अनुमन्यता हेतु सर्वे पूर्व निर्गत शासनादेश के अनुसार ही रहेंगी।
- 3- उक्त भत्ते की दरों में संशोधन के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित का0ज्ञाप दिनांक 10 मार्च, 2000 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

(समा रतूडी)  
सचिव वित्त

1.T  
upload करे  
216  
27.01.18  
EE

संख्या 341(1)/XXVII(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, भा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेंट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शरद चन्द पाण्डे)  
अपर सचिव।